

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु परिसीमन के उपरान्त परिवर्तित वार्ड/ग्राम के संबंध में

स्वघोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि/श्री.....
जो (बालक/बालिका का नाम)का/की अभिभावक हूँ। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने अपने बालक/बालिका के आरटीई के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालय में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश हेतु जो निवास स्थान संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न किया है, वह परिसीमन से पूर्व का है तथा इसमें दर्शाये गये ग्राम/वार्ड परिसीमन के उपरान्त निम्नानुसार परिवर्तित हो गये हैं : -

क्र.सं.		परिसीमन से पूर्व की स्थिति	परिसीमन के बाद की स्थिति
1.	वार्ड/ग्राम		
2.	ग्राम पंचायत/शहरी नगर निकाय		
3.	ब्लॉक		

परिसीमन के बाद निवास संबंधी नवीन स्थिति निम्नानुसार हैं:- (उचित पर टिक करें)

- बालक/बालिका उस ग्राम/वार्ड का निवासी है, जहाँ स्कूल स्थित है।
- बालक का निवास एवं स्कूल की ग्राम पंचायत/यूएलबी (नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम) समान हैं परन्तु उसका ग्राम/वार्ड भिन्न है।

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार पूर्वतः सही है। अगर घोषणा असत्य पायी जाती है तो विद्यालय को मेरे प्रति कानूनी कार्यवाही करने तथा मेरे बालक/बालिका का निःशुल्क सीट पर प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

दिनांक / /

स्वघोषणाकर्ता के हस्ताक्षर/

अंगूठा निशानी